

श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०- M 02 / 2019

धारा-107 द०प्र०सं०

स्वराज सिंह मुण्डू वगै० बनाम अरिजित चन्द्र सिंह मुण्डू वगै०

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
23-01-19	<p>अभिलेख सं०-एम.....<u>02</u>...../20.....<u>19</u>..... में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>तमाड</u> के अप्राथमिकी सं०-<u>01/19</u> दिनांक-<u>16-1-2019</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>स्वराज सिंह मुण्डू वगै०</u> एवं <u>अरिजित चन्द्र सिंह मुण्डू वगै०</u> के बीच <u>विवाह</u> के संबंध में <u>उभय पक्ष में तनाव है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>08/02/19</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p>	
<p><u>23/01/19</u> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	<p><u>23/01/19</u> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी  
तारीख सहित

लिया गया तथा शवही से भुक्त  
किया गया। प्रथम पत्र की जोर से  
आवेदन देकर अनुसंधान किया गया है  
कि वाद के समय सीमा समाप्त हो रही  
है अतः इसमें 2 माह का अवधि विस्तार  
किया जाय।

प्रथम पत्र के आवेदन को अस्वीकृत  
किया जाय है कि लोक 23-08-19  
को 22वें ।

रि  
24/8/19

23-08-19  
24-08-19

अपिलेशन उपरनामित । प्रथम पत्र  
अधिवक्ता शवही द्वितीय पत्र अनुप्राणित ।  
उक्त वाद के 6 (दो) माह की अवधि-  
पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वादकालनामित  
हो गया है अतः वाद के अपिलेशन  
की कार्रवाई बन्द की जाती है।

रि  
24/8/19